

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)

वाद संख्या 1/60/2018

अनुवान—

लक्ष्मीनारायण बनाम भगवान सहाय वगैरा।

दावा धारा 188 आरटी एक्ट



दिनांक 22.06.2018 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री मनोहरलाल यादव एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया। पक्षकारान द्वारा मय वकील उपस्थित न्यायालय होकर एक राजीनाम पेश किया। जिसे बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान को पाबंद करते हुए कार्यावाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख भण्डार हों।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़